संविधानों - राज्यों का वर्गीकरण

- राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तू के द्वारा किया गया है। अरस्तू ने अपना यह वर्गीकरण दो आधारों पर प्रस्तुत किया है।

(1) संख्या का आधार → संख्या के आधार का तात्पर्य यह है कि प्रमुख शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

(2) नैतिक आधार → इसका तात्पर्य यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है।
शासन — इस प्रकार के तीन भेद किये हैं। और दूसरे आधार पर अरस्तू ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूपों - स्वाभाविक और विकृत - का निरूपण किया है। अरस्तू के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासक सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है।
अरस्तू के वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम उसे निम्नलिखित प्रकार से तालिकाबद्ध कर सकते हैं →

प्रथम आधार (संख्या का आधार)	द्वितीय आधार (नैतिक आधार)	
शासन करने वाले	सर्वोच्च सत्ता के संचालन उद्देश्य	
व्यक्तियों की संख्या	शासन का स्वाभाविक रूप	शासन का विकृत रूप
एक	एकतन्त्र या राजतन्त्र	आततायीतन्त्र
अल्पसंख्यक	कुलीनतन्त्र	वर्गतन्त्र या धनिकतन्त्र
बहुसंख्यक	बहुतन्त्र या संविधानितन्त्र	भीड़ तन्त्र

एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है। तो उसे राजतन्त्र कहते हैं किन्तु जब शासन केवल अपने ही हितों को दृष्टि में रखते हुए शासन शक्ति का प्रयोग करने लगता है →

संविधान

1

अरस्तू के अनुसार नागरिकता का अर्थ राजसता में भाग लेना अर्थात् राज्य के नीति निर्धारक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार किन्हें और किस रूप में मिलना चाहिए, इसका उत्तर उसने अपनी संविधान विषयक धारणा में दिया है।

अरस्तू के अनुसार, संविधान या पॉलिटी राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका सम्बन्ध सामान्यतया राज्य के पदों के निर्धारण से है, और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर संविधान के सम्बन्ध में भाग बातें सामने आती हैं,

(1) संविधान राज्य अथवा उसके पदों का कोष है।

(2) संविधान द्वारा ही सर्वोत्तम सता के निवास को निर्धारित किया जाता है।

(3) संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य किस लक्ष्य की ओर उन्मुख है।

(4) राज्य के लिए संविधान अति आवश्यक है इसी के आधार पर राज्य का निर्माण अथवा अन्त होता है।

(5) राज्य का सार अथवा अति आवश्यक आधार संविधान होता है और संविधान में परिवर्तन के साथ राज्य का रूप बदल जाता है।